


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आप्रसआ/ओला0/2017/5353-72
दिनांक 18-5-2017 के द्वारा राज्य के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, करौली एवं जोधपुर के 57
ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में आबियाना शुल्क
की वसूली स्थगन कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की
कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राज0 जयपुर।

एफ 1(3)आ0प्र0एवंसहा/ओला0/2017/5348
जयपुर, दिनांक 18.5.17